फोन: 05278 245957
फैक्स: 05278 248123

डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,फैजाबाद

पत्रांकः लो0अ0वि0 / सम्ब0 / 2017 / 181 दिनांक :29–06–2017

सम्बद्धता आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथासंशोधित) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा में माननीय कुलपति जी के आदेश **दिनॉक 29–06–2017** के अनुपालन में **भवदीय एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट, सीवार, सोहावल, फैजाबाद** को **स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत** भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विषयों में **बी0एस–सी0 पाठ्यक्रम, स्नातक स्तर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत बी0एससी0 गृहविज्ञान पाठ्यक्रम, स्नातक स्तर पर कृषि संकाय के अन्तर्गत बी0एससी0 कृषि पाठ्यक्रम, स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत बी0लिब0 पाठ्यक्रम, स्नातक स्तर पर शारीरिक शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0पी0ई0 पाठ्यक्रम** तथा **स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0काम0 पाठ्यक्रम** स्ववित्तपोषित योनान्तर्गत संचालित किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2017–18 से क्रमशः आगामी चार एवं तीन वर्षो हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

1. **संस्था / महाविद्यालय द्वारा स्नातक स्तर के याचित पाठ्यक्रमों हेतु मानकानुसार शिक्षक अनुमोदन प्रवेश / कक्षा संचालन के पूर्व कर लिया जायेगा अन्यथा की स्थिति में सत्र 2017–18 में प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। महाविद्यालय द्वारा उक्त आशय का शपथ पत्र एक सप्ताह के अन्दर कुलसचिव के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा।**
2. संस्था / महाविद्यालय शासनादेश संख्याः 2851 / सत्तर–2–2003–15(92) / 2002 दिनांक 2 जुलाई, 2003 मे उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय मे समय–समय पर अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. संस्था / महाविद्यालय कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता की शर्ते महाविद्यालय निरन्तर पूरी कर रहा है।
4. संस्था / महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की अधिनियम / परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित न किये जाने की दशा में उ0प्र0 राल्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
5. संस्था / महाविद्यालय को सम्बद्धता आदेश महाविद्यालय द्वारा प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर जारी किया जा रहा है। प्रमाणित प्रपत्रों / सूचनाओं के असत्य पाये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
6. **महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित / कार्यरत् शिक्षकों का बायोडाटा, आधार–कार्ड, अनुबन्ध पत्र वेतन भुगतान का विवरण विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने के साथ अपनी वेबसाइट पर अपलोड़ करना अनिवार्य होगा। अनुमोदित / कार्यरत् शिक्षकों के द्वारा ही परीक्षा आदि कार्य सम्पादित कराये जायेगें।**
7. मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या–61859 / 2012 में पारित आदेश दिनॉक 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन / नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522 / सत्तर–2–2013–2(650) / 2012 दिनॉक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
8. संस्था / महाविद्यालय द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली / अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेश का पालन सुनिश्चित करेगी।
9. संस्था / महाविद्यालय द्वारा शासनादेश संख्या–421 / सत्तर–1–2015–16(20) / 2011, दिनॉक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जायेगी।
10. संस्था / महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों की निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी।

(संजय कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. प्रबन्धक, **भवदीय एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट, सीवार, सोहावल, फैजाबाद।**
4. परीक्षा नियन्त्रक, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद।
5. निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।
6. प्रोग्रामर, ई0डी0पी0 सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं कालेज लाग–इन पर अपलोड कराये जाने हेतु।

(संजय कुमार)
कुलसचिव